Kirankumar Vissa

September 11, 2020

3 कृषि संशोधन अध्यादेश - किसान कहाँ?

ASHA Webinar Series - Food, Farming & Farmers

Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (ASHA)

अध्यादेश के शीर्षक ख़ुद अपनी कहानी बताते हैं

1. कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020
2. किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020

उनके सही नाम से उन्हें जानें

1) APMC बाईपास अध्यादेश
2) अनुबंधिय कृषि अध्यादेश
3) कृषि-व्यापार (जमाख़ोरी अधिकार) अध्यादेश

- इन अधिनियमों से किन लोगों को सही में फ़ायदा होगा?
- सरकार हड़बड़ी में ये अध्यादेश क्यों लाई?
- तीनों अध्यादेशों को मिलकर बड़ी तस्वीर क्या बनती है?

किसको फ़ायदा? किसका नुक़सान?

किसान

X

कृषि व्यापारी

कृषि क्षेत्र

उपभोक्ता
(उद्योग सहित)

किसका फ़ायदा? किसको नुक़सान?

- ***केवल किसानों को न देखें*** *बनाम* ***उपभोक्ता और कृषि क्षेत्र*** *बनाम* ***अन्य क्षेत्र***
- किसानों और कृषि-व्यापारी के बीच बड़ा असंतुलन
- कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के नाम पर किसान-हित की बलि चढ़कर कृषि-व्यापारी को फ़ायदा पहुँचाना
- यह कोई नई कहानी नहीं है *(अमरीकी कृषि को देखें!)*
- नोट: किसान व उपभोक्ता दोनों नागरिक हैं
  कृषि कोरपोरेट नहीं

आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन

- पुराने अधिनियम के तहत, किसानों और एफ़पीओ को उत्पाद जमा करने पर पाबंदी नहीं थी
- कृषि व्यापारियों पर पाबंदी थी – इसलिए यह कृषि व्यापारी (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश है
- पुराने अधिनियम के तहत, सरकार ने अधिकतर खाद्य पदार्थों को ECA से बाहर कर रखा था

"निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ, स्टॉक सीमा और आंदोलन के प्रतिबंध) को हटाने का आदेश, 2016" के तहत गेहूँ, गेहूँ-उत्पाद, धन, चावल, मोटे अनाज, चीनी, गुड़, खाद्य तेल के बीज डालें, वनस्पति, प्याज़ और आलू को ECA से बाहर रखा गया है

ECA संशोधन में क्या है?

- युद्ध, अकाल, गम्भीर प्राकृतिक आपदा और अत्यधिक मुल्यव्रिद्ही के समय ही खाद्य-पदार्थों की सप्लाई पर नियंत्रण किया जाएगा
- पिछले साल, या ५ वर्षों के औसत मूल्य के मुक़ाबले बगती उत्पादों की क़ीमत में १००% या जल्दी नष्ट होने वाले पदार्थों की क़ीमत में ५०% की वृद्धि की स्थिति में ही स्टॉक जमा करने पर नियंत्रण का आदेश
- स्टॉक सीमा जबतक उत्पादन क्षमता या निर्यात के लिए माँग से अधिक न हो जाए, जमाख़ोरी के ख़िलाफ़ आदेश निष्प्रभावी रहेंगे ; अर्थात् अड़ानी कम्पनी के लिए कोई स्टॉक-सीमा नहीं होगी

इससे खाद्य जमाख़ोरी पर सरकारी नियंत्रण का अधिकार समाप्त हो जाएगा

ECA संशोधन के प्रभाव

बड़े कृषि व्यापारों के लिए

•कोई स्टॉक सीमा नहीं, कोई नियंत्रण नहीं

•बड़े स्टोरेज चेन, सप्लाई और बाज़ार पर अधिक नियंत्रण

•आयातकों और अफ़्रीका जैसे देशों में बड़े स्तर पर पत्ते पर खेती करने वाली कम्पनियों के लिए सभी फाटक खुल जाएंगे?

किसानों के लिए

•जमा करने की सीमा में कोईबदलव नहीं (स्टॉरिज और वित्त)

•कृषि व्यापारियों की तुलना में सीमित अधिकार

•बाज़ार पर कृषि व्यापारियों के क़ब्ज़े के कारण क़ीमतों में गिरावट

•किसानों की स्टॉरिज क्षमता बढ़ाने के सरकारी प्रयास बंद

APMC बाईपास अध्यादेश

- APMC मंडियों की अपनी समस्याएँ हैं पर वे मूल्य और ग़ैर-मूल्य कारकों पर मोलभाव के लिए जगह उपलब्ध करती हैं. निगरानी में स्थानीय प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है.
  जैसे, करनूल में प्याज़ की क़ीमत के अनुभव, आदिलाबाद में कपास में आर्द्रता की जाँच आदि
- इस नई "अनियंत्रित" व्यवस्था एक बड़ी समस्या है. सुदूर गाँवों में रहनेवाले और APMC मंडियों के आसपास के किसानों के अनुभवों में काफ़ी अंतर है. क़ीमत के लिहाज़ से भी और ग्रेडिंग, वज़न, नमी की जाँच आदि के मामले में भी.
- नए अध्यादेश में केवल क़ीमतों पर मामूली नियंत्रण होगा, ग़ैर-मूल्य कारकों पर बिलकुल भी नहीं.
- बिक्री के बिखराव के साथ स्थानीय एकाधिकार विकसित होंगे

APMC बाईपास (जारी)

- केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के अधिकारों को हड़पना अस्वीकार्य है. स्थानीय निगरानी और नियंत्रण ज़रूरी है. राज्य सरकारें किसानों की पहुँच में हैं और उनकी राजनैतिक प्रतिबद्धहत अधिक है. पिछला APMC अधिनियम अधिकतर राज्यों के लिए मान्य था.
- **APMC मंडियों को हटाने का बिहार का अनुभव :** क्या किसानों की तथाकथित मुक्ति से उन्हें बेहतर क़ीमतें मिलीं? धान और मक्के के मामले में बिहार के किसानों को दूसरे राज्यों के मुक़ाबले २५% तक कम क़ीमत मिलती है
- संगठित APMC मंडियों को कमज़ोर करने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के सरकारी प्रयास और भी कमज़ोर होंगे. फिर प्रधानमंत्री-आशा का क्या होगा?

अनुबंधिय कृषि अध्यादेश

- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाइब्रिड बीज उत्पादक किसानों के अनुभव बताते हैं कि अभी चल रही अनुबंधिय कृषि बिलकुल अनियंत्रित है और रेजिस्टर्ड नहीं है और कम्पनियाँ बिचौलियों के सहारे ख़ुद को छुपाए और ज़िम्मेदारियों से मुक्त रखती हैं. क़ीमत और बीज की गुणवत्ता के मामले में भी कोई पारदर्शिता नहीं होती.
- इसमें एक तरफ़ असंगठित किसान खड़े होंगे और दूसरी तरफ़ पेप्सिको या Nuziveedu सीड्ज़ जैसे विशाल कम्पनियाँ होंगी - बड़ा असंतुलन
- इससे किसानों का सशक्तिकरण भी नहीं होगा और उन्हें मिलने वाली क़ीमतें भी नहीं सुधरेंगी
- “कृषि सेवा” अनुबंध की आड़ में खेती की बड़ी ज़मीने कम्पनियों के क़ब्ज़े में होंगी

3 अध्यादेशों की सम्मिलित तस्वीर

- सरकार किसानों के लिए बेहतर बाज़ार और क़ीमतों की ज़िम्मेदारियों से अपना हाथ खींच रही है
- कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के नाम पर बड़ी कृषि-कम्पनियों द्वारा बड़े निवेश के लिए यह किया जा रहा है
- सरकार का दावा है कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा पर अपने इस दावे पर उसे ख़ुद भी विश्वास नहीं है. जिस तरह लॉकडाउन के समय इन अध्यादेशों को थोपा गया है, उससे लगता है कि सरकार को इनके ख़िलाफ़ बड़े किसान आंदोलन का अंदेशा था!

भाजपा-राजग और नीतिगत ऊहापोह

- **मार्च/मई 2014:** न्यूनतम समर्थन मूल्यों को C2+50% फ़ार्मूले के आधार पर बढ़ाने और हर किसान को MSP दिलाने के बड़े चुनावी वादे
- **जून 2014-दिसम्बर 2017: MSP में मामूली वृद्धि**. राज्य सरकारों को बोनस देने से रोका गया. शांताकुमार रिपोर्ट में सरकारी ख़रीद का पर्दाफ़ाश. सरकार ने सप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाखिल किया कि MSP नहीं बधाई जा सकती. बिना MSP काके ज़िक्र के किसानों की आमदनी दोगुनी करने का नया वादा.

जनवरी 2018 के बाद: MSP के वादे का नवीनीकरण (A2+FL +50%), MSP बढ़ाई, भवंतर भुगतान योजना की घोषणा, प्रधानमंत्री किसान-आशा योजना, 22,000 ग्रामीण हाटों के विकास के लिए ग्राम योजना...

- **जून 2020 के बाद:** 3 कृषि अध्यादेश, कृषि-कम्पनियाँ किसानों

किसानों की ज़रूरतें

खेती के लिए सरकारी सहयोग बेहद ज़रूरी है. “किसानों के फ़ायदे के लिए सरकारी सहयोग हटाना” एक मृगमरिचिक है –इससे बड़ी कृषि कंपनिया और मज़बूत होंगी

- 3 कृषि अध्यादेश किसानों के लिए हानिकारक हैं और इन्हें अविलम्ब हटाया जाए!
- बाज़ार के साथ डील करने में किसानों और FPO की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि वे वैल्यू चेन में अपनी हक़दरी बढ़ा सकें - ख़ासकर भंडारण, प्रसंस्करण और वित्त के मामले में
- और अधिक फ़सलों को MSP के दायरे में लाया जाए - कर्नाटक का मंडुआ और ज्वार अनुभव, मिलेट का उड़ीसा का अनुभव यह दर्शाता है कि इस तरह फ़सल विविधता में भी वृद्धि होती है

किसानों की ज़रूरतें

- AIKSCC किसानों का *फ़ायदेमंद MSP गारंटी बिल सरकार पर दबाव डालता है कि वह किसानों को MSP दिलाने को सुनिश्चित करे* :
  - MSP से कम मूल्य की स्थिति में प्रभावी हस्तक्षेप
  - विविध PDS और ICDS से जुड़ा व्यापक ख़रीदी
  - निजी व्यापारियों को मूल्य हरजाना और अन्य लाभ
  - बाज़ार में सभी नीलामियों में MSP को न्यूनतम मूल्य बनाना
  - सभी अनुबंधों में MSP को न्यूनतम मूल्य बनाना
- मूल्य और बाज़ार की मदद के अलावा कई अन्य प्रभावी हस्तक्षेप, संस्थागत क़र्ज़, असली उत्पादकों की पहचान, आपदा राहत/बीमा एंड आर्थिक सहयोग